

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12/52/2025

रजि० नं० 2025/195


प्रवेश तिथि 28.03.2025

अपीलार्थी :- विनोद कुमार A-21, SF-5, SLF Ved Vihar (Ankur Vihar) Loni, Ghaziabad, Up- 2011002	प्रत्यर्थी :- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)
--	--

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :- दिनांक 08.04.2025

- 1- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र ऑनलाईन क्रमांक 448440745362384 दिनांक 24.02.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
- 2- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- 3- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल से जरिये नोटिस क्रमांक 371-72 दिनांक 01.04.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 08.04.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथि को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.04.2025 जर्ने ई-मेल प्रेषित किया गया है, जो शामिल मिसल किया गया।
- 4-राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) ने जर्ने ऑनलाईन राजकाज रेफरेस संख्या 14585745 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा जवाब पेश करते हुए प्रेषित जवाब की एक प्रति अपीलार्थी को भी भिजवायी गयी है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र ऑनलाईन क्रमांक 448440745362384 दिनांक 24.02.2025 में वर्णित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु समुचित जवाब भिजवाया जा चुका है। उक्त क्रम में विधिक प्रावधानों की पालना की गयी है।
- 5-पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- 6-अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
- 7-आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा